बिहार सरकार,
कृषि विभाग
उद्यान निदेशालय

अधिसूचना

संख्या–13 / उ0नि0–49 / 2014 1063 / उ0, पटना, दिनांक– 16/9/ 2015

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उद्यान निदेशालय के नियंत्रणाधीन बिहार कृषि अधिनस्थ सेवा कोटि–7 (उद्यान) में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** –

(1) यह नियमावली बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि–7 (उद्यान) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषा** – इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो।

(1) विभाग से अभिप्रेत है बिहार सरकार का कृषि विभाग,

(2) ''संर्वग''से अभिप्रेत है, बिहार कृषि अधिनस्थ सेवा कोटि–7 (उद्यान) का संवर्ग,

(3) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, ''राज्य कर्मचारी चयन आयोग'' अथवा राज्य तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (अगर कार्यरत हो)

(4) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से अगले वर्ष का 31 मार्च की अवधि।

(5) ''सक्षम प्राधिकार'' से अभिप्रेत है "निदेशक, उद्यान"।

(6) ''सदस्य से अभिप्रेत है बिहार कृषि अधिनस्थ सेवा कोटि–7 उद्यान में नियुक्त व्यक्ति,

(7) "नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है निदेशक उद्यान, कृषि विभाग, बिहार सरकार।

3. **संवर्ग का गठन एवं पद सोपानः**– यह सेवा राज्य स्तरीय सेवा होगी तथा कृषि विभाग अन्तर्गत उद्यान निदेशालय इस सेवा का नियंत्री प्राधिकार होगा।

(1) इस सेवा का मूल पद, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी एवं उद्यान पदाधिकारी होगा।

(2) प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पद का प्रथम प्रोन्नति उद्यान पदाधिकारी के पद पर की जाएगी।

4. **मूल कोटि में नियुक्ति एवं प्रोन्नती**– (1) सेवा में नियुक्ति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी एवं उद्यान पदाधिकारी के 67 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे।

(2) प्रति वर्ष 1 अप्रैल को संवर्ग में स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के लिए तथा सीधी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना अलग–अलग की जाएगी। यह गणना पदों के आधार पर की जाएगी अर्थात सीधी नियुक्ति के पदों के रिक्त होने पर इन्हें सीधी नियुक्ति द्वारा तथा प्रोन्नती के पदों के रिक्त होने पर प्रोन्नती द्वारा भरा जाएगा।

(3) अनुकम्पा के आधार पर एवं न्यायालय आदेश के आलोक में की गई नियुक्ति सीधी नियुक्ति के लिए मान्य होगी।

5. **पद एवं शैक्षणिक योग्यता**–

(1) **प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारीः**– शैक्षणिक योग्यता –(उद्यान/कृषि) में स्नातक/इन्टरमीडिएट (विज्ञान या कृषि) के साथ आई0सी0ए0आर0 के मान्यता प्राप्त संस्थान से उद्यान पर्यवेक्षक/निरीक्षक का एक वर्षीय प्रशिक्षण।

वेमनमान–रू 5200–रू 20200 ग्रेड वेतन रू 2400

(2) **उद्यान पदाधिकारीः**– शैक्षणिक योग्यताः– उद्यान/कृषि में स्नातक

वेतनमान–रू 9300–रू 34800 ग्रेड वेतन–रू 4200

6. **सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति**– (1) मूल कोटि का पद– **प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी तथा उद्यान पदाधिकारी** के पद पर सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से की जाएगी।

(2) **उम्र सीमा**– आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए विनिश्चित किया जाय, परन्तु विशेष परिस्थिति में कारण अभिलिखित करते हुए विभाग, इसे सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के पश्चात बढ़ा सकेगा।

(3) **आरक्षण**– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए समय–समय पर विनिश्चित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

(4) सीधी नियुक्ति हेतु विभाग सामान्य एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के साथ अधियाचना प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की रिक्ति के आधार पर आयोग को भेजेगा।

7. **प्रतियोगिता परीक्षा के विषय तथा पाठ्यक्रम**– (1) **उद्यान पदाधिकारी** के पद पर आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा कुल 4 सौ अंकों का होगा।

(i) सामान्य हिन्दी	–100 अंक (एक पत्र)
(ii) सामान्य ज्ञान	–100 अंक (एक पत्र)
(iii) उद्यान/कृषि विज्ञान	–200 अंक (दो पत्र)

हिन्दी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परन्तु इसकी गणना प्राप्तांक मेधा सूची तैयार करने के प्रयोगनार्थ नहीं की जायेगी। मेधा सूची उद्यान/कृषि विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर

तैयार की जाएगी। हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विनिश्चित किया जाय। उद्यान/कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा आयोग के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

(2) प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा कुल 3 (तीन) सौ अंकों का होगा:–

(i) सामान्य हिन्दी –100 अंक (एक पत्र)

(ii) सामान्य ज्ञान –100 अंक (एक पत्र)

(iii) उद्यान/कृषि विज्ञान –100 अंक (एक पत्र)

हिन्दी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परन्तु इसकी गणना प्राप्तांक मेधा सूची तैयार करने के प्रयोगनार्थ नहीं की जायेगी। मेधा सूची उद्यान/कृषि विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंको के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विनिश्चित किया जाय। उद्यान/कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा आयोग के परामर्श से, तैयार किया जाएगा।

(8) **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा** – आयोग लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर, सामान्य तथा प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए, अलग–अलग मेधा सूची तैयार करेगा। ऐसी तैयार की गई सूचियों में से आयोग प्रतिवेदित अधियाचना के अनुसार अनुशंसा विभाग को करेगा।

9. पदों का वर्गीकरण :– (1) पदों का वर्गीकरण निम्नवत् होगा:–

क्रमांक	पद	मूल संवर्ग जिसमें प्रोन्नति दिया जायेगा के पदों/बलों का वर्गीकरण			अभियुक्ति
		कुल स्वीकृत बल	सीधी नियुक्ति के लिए वर्गीकृत बल की संख्या	प्रोन्नति के लिए वर्गीकृत बल की संख्या	
1	प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी	534	358	176	33 प्रतिशत प्रोन्नति के पद मैट्रिक या समकक्ष योग्यताधारी उद्यान सेवकों से भरा जायेगा।
2	उद्यान पदाधिकारी	76	51	25	33 प्रतिशत प्रोन्नति के पद प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी संवर्ग से भरा जायेगा।

(2) उद्यान पदाधिकारी संवर्ग वल के 33 प्रतिशत पदों को प्रखंड उद्यान पदाधिकारी संवर्ग में कार्यरत कर्मियों से तथा प्रखंड उद्यान पदाधिकारी संवर्ग बल के 33 प्रतिशत पदों को उद्यान सेवक संवर्ग में कार्यरत कर्मियों से प्रोन्नती द्वारा भरा जायेगा।

(3) पदोन्नति हेतु कालावधि वही होगी जो, समय–समय पर, सरकार द्वारा विनिश्चित की जाय।

(4) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति के लिए समय–समय पर विहित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

(5) कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त एवं निम्न पद से प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्त कर्मी की आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित मानदंड के आधार पर विनिश्चित की जाएगी।

(6) प्रोन्नती द्वारा नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक वरीयता वही होगी जो प्रोन्नति के पूर्व संवर्ग में थी।

10. परिवीक्षा :– **(1)** सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रत्येक सदस्य पदग्रहण की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में लिखित रूप में, यह अवधि विभाग के द्वारा एक वर्ष तक बढाई जा सकेगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी अभिलिखित करता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा सुधार करने की गुंजाइस है। यदि बढाई गयी अवधि में भी कार्य संतोषप्रद नहीं होगा तो ऐसे संवर्ग के सदस्यों की सेवा सरकार द्वारा बिना कारण पृच्छा के समाप्त की जा सकेगी, परन्तु इसकी लिखित सूचना कारण सहित उन्हे दी जाएगी।

(2) परिवीक्षाधीन अवधि की गणना नियमित सेवा में की जाएगी।

11. प्रशिक्षण (1) बिहार कृषि अधिनस्थ सेवा (उद्यान) कोटि–7 में नियुक्त सदस्यों के लिए प्रोन्नति हेतु विभाग द्वारा विनिश्चित संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण संस्थानों का चयन समय–समय पर विभाग द्वारा किया जाएगा।

(2) विभाग द्वारा सेवाकालीन/प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संवर्ग सदस्यों को भाग लेना अनिवार्य होगा। उक्त आधार पर प्रोन्नति का लाभ अनुमान्य होगा, परन्तु विभाग द्वारा ससमय प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किए जाने की स्थति में उम्मीदवारों को प्रोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा।

12. विभागीय परीक्षा :–

(1) वर्ग 'ग' के कर्मियों का राज्य भाषा विभाग, बिहार द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(2) मूल कोटि के वेतनमान में द्वितीय वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा उतीर्णता के पश्चात् हीं देय होगा।

(3) कर्मियों का वेतनवृद्धि में यह रूकावट असंचयात्मक होगी और परीक्षा में उत्तीर्णता के उपरान्त रोकी गई सम्पूर्ण वेतन वृद्धि दे दी जायेगी।

(4) कर्मियों को 50 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् कर्मचारी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर, निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के अधीन विमुक्त होंगे।

13. सेवा सम्पुष्टि–(1) परिवीक्षा की समाप्ति, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता तथा विनिश्चित प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने पर तथा सेवा स्वच्छ पाये जाने पर, सीधी नियुक्ति के सदस्यों की सेवा, स्थायी संवर्गीय पदों के विरूद्ध मूल कोटि में सम्पुष्ट की जायेगी।

(2) प्रोन्नति में मूल कोटि में नियुक्त सदस्यों की सेवा उप नियम 9(1) के अधीन वर्णित शर्तों पर सम्पुष्ट की जा सकेगी।

14. **वरीयता का निर्धारण** :– वरीयता का विनिश्चय समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित नीति के आलोक में किया जाएगा।

15. **मूल कोटि से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति** –

(1) सेवा संवर्ग के पदसोपान में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति ठीक नीचे की पंक्ति में कार्यरत कर्मियों से वरीयता के आधार पर तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों के आलोक में दी जाएगी। लेकिन, कर्मियों को कंडिका–7 में यथा प्रावधानित प्रशिक्षण में भाग लेने पर ही प्रोन्नति देय होगी।

(2) परन्तु विभाग/संस्थान द्वारा ससमय प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।

(3) कार्यरत पदाधिकारियों की मूल कोटि में सम्पुष्टि, गोपनीय अभियुक्ति, आंतरिक स्वच्छता, निगरानी स्वच्छता एवं लोकायुक्त का प्रतिवेदन, निर्धारित कालावधि, आरक्षण, पदों की उपलब्धता आदि पर विचार करते हुये वरीयता के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रोन्नति दी जायेगी।

(4) **विभागीय प्रोन्नति समिति**– विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा। विभागीय प्रोन्नति समिति अलग से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्पों/अनुदेशों के आलोक में गठित की जायेगी।

16. **प्रकीर्ण–कठिनाई का निराकरण**–

(1) इस नियमावली के नियमों की व्याख्या करने के लिए विभाग सक्षम होगा जिसके लिए आवश्यकतानुसार सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग/ वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) विभाग इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने में आने वाली कठिनाई का निराकरण, राजपत्र में समुचित आदेश प्रकाशन द्वारा, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, कर सकेगा।

(3) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश में किये गये प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में लागू माने जायेंगे।

17. **निरसन एवं व्यावृति** – (1) इस संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति/सेवा शर्त संबंधी पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश/संकल्प एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व निर्गत परिपत्र/अनुदेश/संकल्प के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जाएगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14/9/15

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 1063 /उ0 नि0, पटना, दिनांक 16/9/2015

प्रतिलिपि–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 100 (एक सौ) मद्रित प्रतियां इस विभाग को अतिशीघ्र भेजने का कष्ट करें।

14/9/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 1063 /उ0 नि0, पटना, दिनांक 16/9/2015

प्रतिलिपि–राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री कृषि के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकाश आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/9/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 1063 /उ0 नि0, पटना, दिनांक 16/9/2015

प्रतिलिपि–कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कृषि निदेशक, बिहार/अपर कृषि निदेशक (प्रसार)/निदेशक उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक पी0पी0एम0/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10-9-15 | 11/9/15 | 14/9/15

उप निदेशक उद्यान (प्र० एवं मु०) | **निदेशक उद्यान** | **सरकार के संयुक्त सचिव।**